

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

क्र. सं.


फर्द अहकाम

सु. नं० 64/17 तारीख 25-3-17

उपनाम - कभलेश बगाम जोयाल के. गुदड़ी
बजार टोडाभीम

प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थिया की ओर से श्री सुजील कुमार जिन्दल एडवोकेट
जे प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। शपथ पत्र
व जमा बन्दी का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया वकील
की एक तरफा बहस सुनी गयी। प्रथम दृष्टया मामला
प्रार्थिया के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः जैरसापला
को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता
है कि ग्राम असेरा की आराजी ख. नं० 89 पर कबा 0.19 है
शुद्धि की आगामी पेश तक रहना व्यय नहीं करे। प्रार्थनापत्र
दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थियों को जरिये जॉर्नल से तलाश
कर दिनांक 25-3-17 को पेश हो।


ज्योतीश अरव
उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम

25-3-17

प्रार्थी वकील उप०। अर्थात् नं. 1 कासमनपुरी परागमील
दुआ की अर्थात् नं. 2 दिल्ली रहता बताया है। अर्थात् नं. 3
के अर्थात् से कोटिस तारीख होगी 1.0.17। अर्थात्
पक्षों से अर्थात् अर्थात् 12.10.17 को पेश हो।

2/17 प्रार्थी वकील उप० अर्थात् नं. 1 की 3 की तारीख हो चुकी
है। वावजूद सूचना उपस्थित नहीं। इसलिए एडवोकेट के
अपक्षीय कार्यवाही समल जे लाई जाती है। पुनः कोटिस तारीख
मय अर्थात् 2/17 सही पता के पेश करे। अर्थात् तारीख
दिनांक 6-11-17 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

| दिनांक | फर्द अहकाम |
|----------|---|
| 6-11-17 | <p>प्राधी वकील उप / 3 प्रार्थी नं. 2 कारजि A0 नोटिस रि 3/11/17 को भेजा गया है वरन्नाए राहीद रजि A0 दिनांक 30-11-17 को पेश हो</p> |
| 30-11-17 | <p>प्राधी वकील उप / 3 प्रार्थी नं. 2 कारजि A0 लगान केजे एक ग्राह हो गया है A0 राहीद ग्राहज ही है एक ग्राह से ज्यादा लगान होनेसे तामील मानी जाती है उपस्थित नही होनेसे एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। बहस वास्तु 4-1-18 को पेश हो। पुनः प्राधी वकील ने कथन किया कि पक्षकार मुकदमा को ड्रागे चलाना नही चाहते है इसलिए पक्षकार Not Press में खारिज का दिया जोवे प्राधी वकील द्वारा मुकदमा ड्रागे चलाना नही चाहनेसे Not Press में खारिज किया जाता है पत्रावली कैसल शुमार होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे है</p> |